(23)

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0 के0 अग्रवाल

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1638- II/2017 निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 31.03.2017 पारित आदेश द्वारा तहसीलदार जिला अशोकनगर प्र0 क्र0 0010/अ-6-अ/2016-17

सुरेशचन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री रामचन्द्र उर्फ बाबूलाल,
निवासी ओम कालोनी, ईसागढ़, जिला अशोकनगर

---आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन - तहसीलदार, तहसील अशोकनगर
जिला अशोकनगर

---अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव
अनावेदक की ओर से शासकीय अधिवक्ता उपस्थित

//आदेश //

(पारित दिनांक 12/4/2018)

यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील अशोकनगर के प्र.क्र 0010/अ-6-अ/ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2017 के विरूद्ध म.प्र भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार अशोकनगर द्वारा श्री परमार सिंह यादव के शिकायती आवेदन पर कि ग्राम पछारी में ग्राम पडरिया-पुलिया रोड पर श्री अर्जित अग्रवाल से पटवारी द्वारा मोटी रकम लेकर कॉलोनी काटी जा रही है जिसके संबंध में जॉच किये जाने पर पाया कि भूमि सर्वे नं. 157/2 में कलेक्टर अशोकनगर के आदेश दिनांक 01.05.2014 से ग्राम पछारी के भूमि सर्वे क्र. 157/2 रकबा 0.314 हेक्टेयर भूमि संलग्न नक्शा अनुसार नवीन यातायात थाना भवन हेतु आवंटित की गई थी। उक्त नक्शे में बटांकन तत्कालीन राजस्व निरीक्षक श्री रमेश सिंह रघुवंशी व पटवारी ग्राम द्वारा दिनांक 10.02.2014 को किये गये हैं। उक्त बटांकन के

संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। कलेक्टर अशोकनगर के आदेश दिनांक 01.05.2014 से जो भूमि प्रस्तावित की गई थी तथा दिनांक 12.10.2014 को दिये गये बटांकन से भिन्न है। जिस पर से संबंधित राजस्व निरीक्षक व पटवारी से स्पष्टीकरण हेतु एवं भूमि सर्वे क्रमांक 157, 158 के भूमिस्वामियों को सूचना जारी कर कि उक्त भूमि जिल्द बंदोवस्त में शासकीय है तो वर्तमान भूमिस्वामियों पर स्वत्व किस प्रकार आई उसकी भी जानकारी भूमिस्वामी से ली जावे। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3. अपीलार्थी के अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील मेमो व प्रस्तुत तर्कों में बताया कि सर्वे क्र. 157, 157/2 एवं 158 में से प्रश्नाधीन 3 बीघा भूमि उसकी स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर 1963 से कृषि कार्य करता चला आ रहा है और उसे यह भूमि न्यायालय कलेक्टर गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/1962/162/अ 69 में पारित आदेश दिनांक 21.07.1963 से एक्सचेंज में प्राप्त हुई थी। तहसीलदार ने एक शिकायती आवेदन पर प्रकरण दर्ज कर दिनांक 31.03.2017 को कार्यवाही प्रारंभ की गई है जो विधि विरूद्ध एवं अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि शिकायत को बिना सम्पूर्ण तथ्यों की विधि अनुरूप सही तथ्यों को जाने बिना प्रकरण विचारण न्यायालय को दर्ज नहीं करना चाहिए था। सर्वप्रथम पटवारी को विधिवत रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिये थी उसके बाद जॉचोंपरांत वरिष्ठ न्यायालय को कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था। जिस भूमि का विचारण न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि वह खुली भूमि है उस पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है और ना ही खेती की जा रही है। किसी परमाल सिंह द्वारा शिकायत की गई है जिसका विवादित भूमि से कोई लेना देना नही है। आवेदक को दूसरी पेशी पर ही अंतिम अवसर देकर न्यायहित में 100/- रूपये कास्ट पर अवसर दिया जाने का मनमाना आदेश पारित किया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। अंत में आवेदक ने निगरानी स्वीकार की जाकर शिकायती आवेदन के आधार पर संस्थित प्रकरण में की जा रही कार्यवाही दिनांक 31.03.2017 से दिनांक 22.05.2017 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

शासकीय अधिवक्ता द्वारा निगरानी पर आपत्ति करते हुये, आवेदक को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत ही विवादित आदेश पारित करने की बात कही गयी है।

4. मेरे द्वारा अपीलार्थी/आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने प्रकरण में आवेदक को उपस्थित होने के बाद जबाव हेतु समय चाहे जाने पर प्रथमवार में ही अंतिम अवसर दिया और अगली पेशी पर जबाव प्रस्तुत न होने पर न्यायहित में 100/-रूपये कॉस्ट अधिरोपित के साथ एक अवसर और दिया, जिस पर से यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धांत के आधार पर आवेदक की जानबूझकर प्रकरण को लंबित बनाये रखने जैसी कोई स्थिति परिलक्षित होने या पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जबाव प्रस्तुत न होने पर ही ऐसे न्यायिक अधिकारों का उपयोग करना चाहिये था। अतः आवेदक की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उस पर अधिरोपित 100/- रूपये कॉस्ट समाप्त की जाकर इस निर्देश के साथ निराकृत की जाती है कि कलेक्टर गुना (तत्समय जिला गुना अंतर्गत तहसील अशोकनगर) के प्रकरण क्रमांक 1/1962X162/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 21.07.1963 का परीक्षण किया जाकर, आवेदक से प्रश्नाधीन भूमि की स्वत्व प्राप्ति भूमि-स्वामित्वधारक होने संबंधी अभिलेखीलय आधार प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाए। राजस्व अभिलेखों में दर्ज राजस्व भूमि एवं ग्राम तरमीम नक्शा से मिलान कर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर से विधिवत प्रतिवेदन लिया जाकर ही उचित विधिक निर्णय पारित करें।

(डॉ0 एम0 के0 अग्रवाल)
सदस्य
म0प्र0 राजस्व मण्डल
ग्वालियर